न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तवन** (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 95 सन 2019
अनवान :–

1. अमीलाल 2. हरिसिह पि० बालुराम जाति जाट निवासीगण बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।

वादी

बनाम

1. भरपाई पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
2. राजपाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
3. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
4. सन्तोष पुत्री हनुमान पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी भुडनपुरा तहसील सुरजगढ जिला चुरू
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भरत कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/10/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वाद की मद संख्या 1 में अंकितानुसार वादीगण एव प्रतिादीगण का संजरा खानदान है ।

वादीगण के पिता बालुराम प्रतिवादीगण के ससुर व दादा गोरधन की खातेदारी भूमि ग्राम बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू तथा वादीगण के पिता बालुराम, एकेले की पैदा करदा भूमि रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न० 366/1 की 7.2960हैक भूमि थी प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता स्व हनुमान जो अपने व वादीगण के पिता स्व बालूराम के जीवनकाल में ही दिनांक 16.04.1970 को अपने ताउ गोरधन के खोला चला गया था तथा सकी तिथ में ही रहता आ रहा है तथा रोही मौजा बेरासर की भूमि बाद मृत्यू गोरधन के दतक विलेख के आधार पर हनुमान ने गोरधन की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया था तथा बलुराम की मृत्यू के उपरान्त रोही मौजा चैनपुरा की भूमि का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में तस्दीक हो गया।

रोही मौजा चैनपरुा के खसरा न० 366/1 की 7.2960हैक भूमि नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.1984 को तहसीलदार साहब नोहर के समक्ष प्रस्तुत करने पर किन्तु प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 13.02.1985 को वादीगण के साथ मृतक हनुमान का नाम दर्ज कर दिया और सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा विधि विरूद्व बिना हक व हकुक के बिना जांच किये हनुमान जो प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता है के नाम दर्ज कर दिया जो बालूराम का वारिस न होकर गोरधन का दत्तक पुत्र था के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाने के अधिकारी है कि बालूराम के जायज वारिसान वादीगण ही है हनुमान गोरधन [illegible] के पुत्र है इसलिये हनुमान का नाम वाद भूमि से कलमजन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की बहने [illegible], [illegible], श्रवणी, ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया थ और उन्होने अपना हक व हिस्सा त्याग [illegible] वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण हेतु निवदन भी किया था कि राजस्व कर्मचारियो व ग्राम पंचायत ने मिलकर फर्जी तौर से मृतक हनुमान को वादीगण का भाई व बालुराम का वारिस मानते हुये राजस्व

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में वादीगण के साथ बहिब दर्ज कर दिया जो गलत व विधि विरूद्व व वादीगण के हको का हनन करने वाला है।

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक्ट भूमि वादीगण के बाद बालूराम की मृत्यू के लगातार निर्वधन रू‍ से कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु अब राजस्व रिकार्ड में हनुमान का नाम दर्ज हाने के कारण उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 दखल देने की योजना बना रहे है तथा अपराधिक किस्म के अजनबी लोगो को अपने नमा नामान्तकरण करवाकर विक्रय करने की फिराक में है यदि ऐसा होता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नही है इसलिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा स्वय या अपने आदमीयो के नही करवाये वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा समझाया की वो वादीगण के कब्जा काश्त में दखल नही देवे व मृतक हनुमान का नाम कलमजन करवा कर वादीगण की भूमि स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा लेवे व अपराधिक व्यक्यिों को हस्तान्तकरण करने से बाज रहे किन्त इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर मृतक हनुमान बालूराम का पुत्र नही है वह गोरधन का दत्तक पुत्र है इसलिये रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7. 2960हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद का जबाब पेश किया गया वाद भूमि दिनांक 1302.1985 के हर आम खास के ज्ञान से पूर्व में हनुमान बाद फोतदगी हनुमान मृतक के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है विवादगस्त भूमि में वादीगण को दावा लाने का कोई कॉफ ऑफ एक्शन हासिल नही है वाद भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में इश्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संधारण योग्य नही है विवादग्रस्त भूमि 40 सालो से प्रतिवादीगण के पिता अब प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा कब्जा प्राप्त करने के मियाद पाईवेट व्यक्ति के खिलाफ 12 साल होती है जो खत्म हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जा प्राप्त करने की कोई रिमेडी उपलब्ध नही है इसलिये वाद वादीगण बैरून मियाद है इसी आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

वाद भूमि 35-40 सालो से वादीगण व उसके पूर्वजों प्रतिवादीगण व उसके पिता हनुमान का कब्जा स्वीकार करते आ रहे है तथा अब लालच में जमीन की कीमत बढ जाने के कारण अपने एडमिशन पोजीशन से रिजाईन कर रहे है तथा उसके खिलाफ मस्ला ऐस्टोपल आरजी है

वाद भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नमा विरास्तन से 40 साल पहले दर्ज रही है तथा अब प्रतिवादीगण के विरास्तन है तथा नामान्तकरण एक अपील योग्य आदेश है जिसकी सक्षम न्यायायलय में कोई अपील पेश नही की गई है तथा वादीगण जरिये वाद कोई रिलिफ पाने के अधिकारी नही है वाद वादीगण खोलानामा खारीज करवाने का सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था जो आज तक पेश नही किया गया है वादीगण द्वारा हनुमान के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 13.02.1985 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 के प्रावधानो में निर्धारित समय [illegible] चुनोती नही दी गई है वाद वाद मियाद बाहर है वादीगण को वाद [illegible] भूमि पर कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य [illegible] खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1. आया मृतक हनुमान , बालूराम का पुत्र नही है वह गोरधन का दत्तक पूत्र है इसलिये रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 2/3 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार है कि घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी
2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने का अधिकारी है।? वादी
3. आया प्रतिवादीगण का पिता हनुमान बालूराम का पुत्र है तथा नामान्तकरण दिनांक 13.02.1985 को मृतक हनुमान के पक्ष में सही तौर से दर्ज किया गया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में आदिनाक तक नही की गई। प्रतिवादी
4. आया की वाद भूमि दिनांक 13.02.1985 से पूर्व में हनुमान के बाद फौतदगी हनुमान दत्तक के वारिसान प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद संधारण योग्य नही है। प्रतिवादी
5. आया वाद भूमि प्रतिवादीगण के पिता का नाम विरास्तन से 40 सालो से दर्ज है अब प्रतिवादीगण के विरास्तन दर्ज है तथा नामान्तकरण अपील योग्य है जिसकी आदिनांक तक अपील पेश नही की गई है इसलिये वाद के जरिये किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है प्रतिवादी
6. वाद वादी खारिज योग्य है ।? प्रतिवादी
7. दादरसी

वादीगण के वाद एव प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर उक्तानुसार तनकी कायम की जाकर उभयपक्षो की साक्ष्य लिये गये वादीगण ने साक्ष्य वादी में अमीलाल पुत्र बालूराम स्वय वादी एवं शेरसिह पुत्र डीगाराम के ब्यान व जिरह की गई एवं दस्तावेजात निम्नप्रकार से प्रदर्श करवाये गये ।

दस्तावेजात :– जमाबन्दी रोही मौजा चैनपुरा सम्वत 2073 से 2076 ईएक्सनी– 1 ,फोटो प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2018 जो तहसीलदार नोहर के पेश की गई , फोटो प्रति प्रमाण पत्र ग्राम पचायत बेरासर दिनांक 30.01.2018 , फोटो स्टेट इन्तकाल संख्या 87/74 रोही मौजा चैनपुरा , फोटौ स्टेट प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बेरासर छोटा बालूराम की मृत्यू बाबत , फोटो स्टेट इन्तकाल संख्या 62/5 रोही मौजा बेरासर छोटा , कागज खोलानामा दिनांक 16.04.2017 आदि प्रस्तुत किये गये

साक्ष्यवादी के साक्ष्य लिये गये और साक्ष्यवादी नही करवाने पर साक्ष्यवादी बन्द किये जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु रखी गई के दौरान ही प्रार्थी भरतकुमार पुत्र रामकुमार प्रार्थना पत्र पेश किया

प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज थी को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा खरीद कर लिया है इसलिये प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 6 वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 को वाद में पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 को जबाब दावा /साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया गया ।

प्रतिवादी संख्या 6 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चैनपुरा के हाल खाता सं[illegible] के खसरा संख्या 366/1 की 7.2960हैक्ट भूमि जिसके प्रतिवादी संख्[illegible] के खातेदार काश्तकार थे जिससे प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] 08.05.2024 के जरिये खरीदशुद्दा भूमि है को वादी हडपने की नियम रखता है वादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्दा भूमि को हडप करने की नियत से वाद पेश किया गया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा भूमि से वादीगण बेदखल करने की नियत रखता है अगर ऐसा हो जाता है तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये प्रतिवादी संख्या 6 वादी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा भूमि में दखलदाजी नही करे।

वादीगण के वाद के अनुतोष से स्पष्ट जाहिर है कि वह वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 के बैयनामा को निरस्त करवाना चाहते है बैयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है वादीगण का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है बैयनामा निरस्त करवाने के लिये वाद सिविल न्यायालय को भेजा जाना चाहिये वादीगण को वाद न्यायालय में लाने का कॉज ऑफ ऐक्शन हालिस नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 के जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम का वादीगण ने जबाबुल जबाब निम्नप्रकार से पेश किया गया :–

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन के वारिसान है हनुमान अपने पिता बालूराम के जीवनकाल में ही गोरधन के खोला चाला गया था और बालूराम की भूमि जो राजगढ में थी वह बालूराम के जायज वारिसान वादीगण के नाम दर्ज हो गयी तथा गोरधन पुत्र डूंगरराम की भूमि बतौर दत्तक पुत्र हनुमान ने अपने नाम दर्ज कराली थी जो पूर्व ही दावा में स्पष्ट किया जा चुका है और वाद भूमि में हनुमान का कोई हक व हिस्सा ही नही है किन्तु दोराने दावा के प्रतिवादी संख्या 6 भरतकुमा ने भूमि का बेयनामा दिनांक 08.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से करवाया है जो वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य है अतः प्रतिवादी संख्या 6 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 के जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम एव वादीगण के जबाबुल जबाब के आधार पर निम्नप्रकार पूनः तनकीयात कायम की गई।

8. आया दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने नाम दिनांक 08.05.2024 को बैयनामा उपपंजीयक नोहर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के तहरीर व तस्दीक करवाया है जो वादीगण के हको के मुकाबले शुन्य घोषित करापाने के अधिकारी है। वादीगण
9. आया रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक में दर्ज प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन कर वादीगण का बहिब दर्ज करा पाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है ? वादीगण
10. आया रोही मौजा चैनुपरा के हाल खाता संख्या 2 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड 4/12 हिस्सा के खातेदार थे जिन्होने जरिये बैयनामा दिनांक 08.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी
11. आया प्रतिवादी संख्या 6 वादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे कब्जा काश्त में दखल न देवे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी
12. आया वादीगण का वाद बिना कब्जा के संधारण योग्य नही है प्रतिवादी
13. आया वादीगण के खिलाफ रेसज्यूडेकेटा आरीज है। प्रतिवादी
14. आया वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।? प्रतिवादी
15. आया वादी को वाद लाने का कोई कॉज ऑफ ऐक्शन हासिल नही है। प्रतिवादी

प्रतिवादी संख्या 6 के जबाब [illegible] काउन्टर क्लेम व वादीगण के जबाबुल जबाब के आधार [illegible] प्रतिवादी हेतु निर्धारित की गई साक्ष्य प्रतिवादी में भरतकुमार [illegible] शपथ पत्र पेश किया एव जिरह करवाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने निम्नलि[illegible] दस्तावेजात प्रदर्श करवाये:–

जमाबन्दी रोही मोजा चेनपुरा के असल बैयनामा दिनांक 08.05.2024 ईएक्सपी– 2 व फोटो प्रति बेयनामा ईएक्सपी 2 ए नकल अपील अमीलाल बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

भरतकुमार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर ईएक्सडी– 3 प्रमाणित प्रति फर्द अहकाम न्यायालय एडीएम कोर्ट अनवानी अमीलाल बनाम भरतकुमार दिनांक 20.06.2024 से 7.12.2024 ईएक्सपी– 4 करवायें गये ।

वादीगण के वाद व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जबाब दावा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम एव वादीगण के जबाबुल जबाब पेश होने पर तनकी कायम करने के उपरान्त वादीगण एव प्रतिवादीगण के साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त पत्रावली मे बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता स्व हनुमान जो अपने व वादीगण के पिता स्व बालूराम के जीवनकाल में ही दिनांक 16.04.1970 को अपने ताउ गोरधन के खोला चला गया था तथा सकी तिथ में ही रहता आ रहा है तथा रोही मौजा बेरासर की भूमि बाद मृत्यू गोरधन के दतक विलेख के आधार पर हनुमान ने गोरधन की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया था तथा बलुराम की मृत्यू के उपरान्त रोही मौजा चैनपुरा की भूमि का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में तस्दीक हो गया जबकि हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र था और पुत्र की हैसियत से गोरधन की देहान्त होने के उपरान्त गोरधन की सम्पति को अपने नाम दर्ज करवा ली थी तो बालुराम की सम्पति में हनुमान का कोई हक हिस्सा नही रहता है कपट पूर्वक बालूराम की सम्पति में हनुमान ने अपना नाम दर्ज करवाया गया है जिसके आधार पर हनुमान का कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है हनुमान का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चैनपरुा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.1984 को तहसीलदार साहब नोहर के समक्ष प्रस्तुत करने पर किन्तु प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 13.02.1985 को वादीगण के साथ मृतक हनुमान का नाम दर्ज कर दिया और सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा विधि विरूद्व बिना हक व हकुक के बिना जांच किये हनुमान जो प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता है के नाम दर्ज कर दिया जो बालूराम का वारिस न होकर गोरधन का दत्तक पुत्र था के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाने के अधिकारी है कि बालूराम के जायज वारिसान वादीगण ही है हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र है इसलिये हनुमान का नाम वाद भूमि से कलमजन करवाने के अधिकारी है।

वादी की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा के द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रभाव रहते हुए मृतक हनुमान के वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 दर्ज कर दिया जबकि वाद भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी था

मृतक हनुमान के वारिसान के नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 को विरास्तन नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दिया इसी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जमाबन्दी मे बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त फर्जी इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 को दिनांक 08.05.2024 को दिखवटी बैयनामा बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त किये वाद की प्रक्रिया को प्रभावित करने की नियम से तस्दीक करवा दिया जबकि वाद भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी था फिर भी बेयनामा करवा दिया तथा बेयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जबकि वाद भूमि में ना तो हनुमान का कोई हक हिस्सा था ना ही हनुमान के वारिसान का [illegible] हिस्सा था जब वाद भूमि में हनुमान एव उसके वारिसान का कोई [illegible] से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] बेयनामा करवाया गया है प्रतिवादी संख्या 6 को करवाया गया बैयनामा वादीगण के हकों [illegible] मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्याकि कि जिसे द्वारा बेयनामा करवाया गया हे उसका वाद भूमि में कोई हक हिस्सा ही नही था मात्र

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

सहवन से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर बेयनामा करवाया गया है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है।

प्रतिवादी संख्या 6 को वाद भूमि में विचारधीन वाद एव हनुमान एव उसके वारिसान का वाद भूमि में हक हिस्सा नही है का पूर्ण ज्ञान था फिर भी जानबूझ कर बेयनामा करवाया गया है ऐसे बेयनामा के आधार पर वादीगण न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया की विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता को प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही थी तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 4 के पिता हनुमान के देहान्त होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को प्राप्त हुई थी जिन्होने प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये बेयनामा भूमि का बेचान किया गया था यदि वादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज था तो वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता था किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के हाल खाता संख्या 2/2 के खसरा संख्या 366/1 की 7.2960हैक्ट भूमि जिसके प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड 4/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे जिससे प्रतिवादी संख्या 6 ने जरिये बैयनामा दिनांक 08.05.2024 के जरिये खरीदशुद्वा भूमि है को वादी हडपने की नियम रखता है वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा भूमि को हडप करने की नियत से वाद पेश किया गया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है

प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा भूमि से वादीगण बेदखल करने की नियत रखता है अगर ऐसा हो जाता है तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये प्रतिवादी संख्या 6 वादी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा भूमि में दखलदाजी नही करे।

वादीगण के वाद के अनुतोष से स्पष्ट जाहिर है कि वह वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 के बैयनामा को निरस्त करवाना चाहते है बैयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है वादीगण का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है बैयनामा निरस्त करवाने के लिये वाद सिविल न्यायालय को भेजा जाना चाहिये वादीगण को वाद न्यायालय में लाने का कॉज ऑफ ऐक्शन हालिस नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दसतावेजात के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है:-

1. आया मृतक हनुमान , बालूराम का पुत्र नही है वह गोरधन का दत्तक पूत्र है इसलिये रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 2/3 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार है कि घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी

<u>तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था</u>

वादीगण ने कथन है कि हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र था बालुराम की सम्पति में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था वादीगण का कथन सही प्रतित होता है प्रस्तुत खोलानामा से वादीगण के कथनो की पूष्टि होती है

प्रस्तुत खोलानामा एवं ग्राम पचायत बैरासर छोटा एवं अन्य दस्तावेजात के अनुसार हनुमान , बालूराम पुत्र [illegible] का पुत्र था तथा बालूराम का बडा भाई गोरधन पुत्र डुग[illegible] नही होने के कारण उसने अपने छोटे भाई [illegible] के पुत्र हनुमान पुत्र बालूराम को बचपन में ही खोले ले लिया था और खोल[illegible]मा उपपंजीयक कार्यालय से पंजीबद्व करवा लिया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनुमान पुत्र बालूराम , गोरधन पुत्र डुगरराम के खोले जाने के बाद गोरधन का दत्तक पुत्र हो गया था अर्थात खोलेजाने के बाद हनुमान की बल्दीयत हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन हो गई थी ।

हनुमान पुत्र बालूराम अपने प्राकृतिक माता पिता से खोले जाने के बाद गोरधन का दत्तक पुत्र हो गया था तो हनुमान अपने प्राकृतिक माता पिता की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था वह अब अपने दत्तक पिता गोरधान की सम्पति में पुत्र की हैसियत से सम्पूर्ण हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हनुमान ने अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में भी बतौर पुत्र की हैसियत से भूमि में विरास्तन से नाम दर्ज करवा लिया और दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने दत्तक पिता गोरधन की सम्पति में भी बतौर दत्तक पुत्र नाम दर्ज करवा लिया इसप्रकार हनुमान ने प्राकृतिक पिता बालूराम एव दत्तक पिता गोरधन दौनो की सम्पतियों में पुत्र की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवा लिया जो न्यायोचित नही है।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालूराम को छोडकर गोरधन के खोले चला गया तो वह अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था वह अपने दत्तक पिता गोरधन की सम्पति में दत्तक पुत्र की हैसियत से सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन ने बालूराम अपने प्राकृतिक पिता को छोडकर गोरधन के खोले जाने उपरान्त गोरधन के देहान्त होने पर उसके दत्तक पुत्र की हैसियत से गोरधन की सम्पति में बतौर दत्तक पुत्र अपने नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार था जिसमें बालूराम या उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा नही था किन्तु हनुमान के द्वारा बालूराम अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में खोले जाने के उपरान्त भी पुत्र की हैसियत से बालूराम की सम्पति अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नही था उसमें केवल बालूराम के पुत्र/पुत्रीया का ही अधिकार था हनुमान खोले जाने के बाद बालूराम की सम्पति या कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था यदि हनुमान ने बालूराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा या विरास्तन से बालूराम की सम्पति में नाम दर्ज करवाया गया था वह कलमजन करवाकर बालूराम के वारिसान अपने हक हिस्सा के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है।

हस्तगत प्रकरण में हनुमान ने बालूराम के देहान्त होने पर बालूराम की कृषि भूमि में बतौर पुत्र विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है जो विधि सम्मत नही है बालूराम की सम्पति में हनुमान का कोई हक हिस्सा नही था हनुमान गोरधन के खोले जाने के बाद गोरधन की सम्पति में अपने हक हिस्सा प्राप्त कर चुका है बालूराम की सम्पति में कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन से साबित हो चुका है कि बालूराम का पुत्र हनुमान अपने ताउ गोरधन के खोले चला गया था जो खोलेनामा व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है हनुमान अपने प्राकृतिक पिता को छोडकर गोरधन के खोले जाने के उपरान्त गोरधन के [illegible] के बाद दत्तक पुत्र की हैसियत से गोरधन की सम्पति [illegible] चुका है तो वह प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में किसी प्र[illegible] का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था यदि नाम दर्ज भी करवा [illegible] गया था तो बालूराम के वारिसान हनुमान का नाम कलमजन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर पूर्णरूप से साबित होने के कारण तनकी न0 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 2 आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने का अधिकारी है।?

वादी

तनकी न0 2 का साबित करने का भार वादीगण पर था

तनकी न0 2 तनकी न0 1 पर आधारित है तनकी न0 1 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है कि हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालूराम को छोडकर गोरधन के खोले चला गया था और गोरधन की सम्पति में गोरधन के देहान्त होने पर उसकी सम्पति में दत्तक पुत्र की हैसियत से सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके है हनुमान बालूराम प्राकृतिक पिता की सम्पति में खोले जाने के बाद किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था फिर भी बालूराम की सम्पति में विरास्तन से अपना नाम दर्ज करवा लिया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है जिसे रहन बैय या अन्य प्रकार से मन्तकिल कर सकते है इसलिये वादीगण अपने हको की सुरक्षा के मध्यनजर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो हनुमान के वारिसान है को पाबन्द करवाने के अधिकारी है अतः तनकी न0 2 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 3 आया प्रतिवादीगण का पिता हनुमान बालूराम का पुत्र है तथा नामान्तकरण दिनांक 13.02.1985 को मृतक हनुमान के पक्ष में सही तौर से दर्ज किया गया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में आदिनाक तक नही की गई।

प्रतिवादी

तनकी न0 3 का साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था

तनकी को साबित करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का मात्र कथन है कि हनुमान बालूराम का पुत्र है जबकि तनकी न. 1 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है कि हनुमान बालूराम का प्राकृतिक पिता था हनुमान अपने ताउ गोरधन के खोले जाने के बाद गोरधन का दत्तक पुत्र हो गया था खोले जाने के बाद बालूराम की सम्पति में हनुमान का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा था वह अपने प्राकृतिक पिता बालूराम के स्थान पर खोलायात पिता गोरधन की सम्पति में हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था और प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार गोरधन की सम्पति में दत्तक पुत्र की हैसियत से हक प्राप्त भी कर चुका है हनुमान बालूराम की सम्पति में पुत्र की हैसियत से कोई हक हिस्सा अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है यदि सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो गया है तो वह संशोधन योग्य है अतः तनकी न. 3 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व तय एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 4 आया की वाद भूमि दिनांक 13.02.1985 से पूर्व में हनुमान के बाद फौतदगी हनुमान दत्तक के वारिसान प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद संधारण योग्य नही है।

प्रतिवादी

तनकी न. 5 आया वाद भूमि प्रतिवादीगण के पिता का नाम विरास्तन से 40 सालो से दर्ज है अब प्रतिवादीगण के विरास्तन दर्ज है तथा नामान्तकरण अपील योग्य है जिसकी आदिनांक तक अपील पेश नही की गई है इसलिये वाद के जरिये किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है

प्रतिवादी

तनकी न.0 6 वाद वादी खारिज योग्य है ।?

प्रतिवादी

तनकी न 4 ता 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था तनकी न 4 ता 6 एक ही बिन्दु पर आधारित है हनु[illegible] राजस्व रिकार्ड में नाम काफी वर्षो से दर्ज था एवं वर्तमान में वि[illegible] संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने ऐसा को[illegible] भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की बालूराम की सम्पति में हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन का कोई हक हिस्सा था एवं राजस्व रिकार्ड में नाम साधिकार दर्ज था जबकि तनकी न. 1 में पूर्ण विवेचन किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul

चुका है कि हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र था हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में कोई हक अधिकार पुत्र की हैसियत से प्राप्त करने का अधिकारी नही था यदि बालूराम की सम्पति में हनुमान का नाम पुत्र की हैसियत से दर्ज हो भी गया है तो बालूराम के वारिसान संशोधन करवा पाने के अधिकारी है अतः तनकी न. 4 ता 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के वाद भूमि दौराने वाद बेचान करने पर प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया था जिसके जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम व जबाबुल जबाब के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई थी

तनकी न. 8 आया दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने नाम दिनांक 08.05.2024 को बैयनामा उपपंजीयक नोहर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के तहरीर व तस्दीक करवाया है जो वादीगण के हको के मुकाबले शुन्य घोषित करापाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी न. 8 का साबित करने का भार वादीगण पर था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालूराम को छोडकर गोरधन के खोले चला गया था और गोरधन की सम्पति में दत्तक पुत्र की हैसियत से समस्त अधिकार प्राप्त कर चुका है तो वह अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में हनुमान का नाम दर्ज करने एव हनुमान के देहान्त होने पर उसके वारिसान का नमा दर्ज होने के कारण बिना अधिकार सहवन से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 6 को बेयनामा करवाया गया है जो वादीगण के हको के प्रति शुन्य एवं निष्प्रभावी है वादीगण का कथन उचित प्रतित होता है क्योकि

तनकी न0 1 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है कि हनुमान बालूराम का पुत्र था तथा बालूराम के बडे भाई गोरधन के कोई औलाद नही थी तो गोरधन ने अपने छोटे भाई के पुत्र हनुमान को खोले ले लिया था अब हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन हो गया था और हनुमान ने दत्तक पुत्र की हैसियत से गोरधन की सम्पति में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त भी कर लिये था हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही था फिर भी हनुमान ने कपट पूर्णक बालूराम के पूत्र की हैसियत से बालूराम की कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्व है हनुमान केवल अपने दत्तक पिता की सम्पति में ही हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी प्राकृतिक पिता की सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही था यदि खोले जाने के उपरान्त भी सम्पति में नाम दर्ज हो जाता है तो कभी भी किसी भी स्तर पर संशोधन किया जा सकता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में बिना अधिकार नाम दर्ज होने से हक अधिकार साबित नही होते है कभी संशोधन किया जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने हनुमान का नाम बालूराम की भूमि में दर्ज होने का फायदा उठाकर हनुमान के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नाम दर्ज करवा कर वाद भूमि जो बिना अधिकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये बेयनामा बेचान कर दिया और बेयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा लिया है।

वाद भूमि में जो बालूराम की सम्पति /कृषि भूमि थी में केवल बालूराम के वारिसान का ही हक अधिकार था हनुमान [illegible] का दत्तक पुत्र था का बालूराम की सम्पति में कोई हक [illegible] ने बालूराम की सम्पति में अपना नाम दर्ज करवाया गया था [illegible] विरूद्व है बालूराम की सम्पति में हनुमान किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त [illegible] का अधिकारी नही है ना ही हनुमान के वारिसान बालूराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है हनुमान के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्रतिवादी संख्या 6 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

करवाया गया बैयनामा वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य एव निष्प्रावी है प्रतिवादी संख्या 6 के बैयनामा के आधार पर किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा ही नही था तो बेयनामा करवाने का उनको अधिकार ही नही था बिना अधिकार करवाया गया बेयनामा स्वत ही शुन्य एवं निष्प्रभावी हो जाता है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है हनुमान या उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव प्रतिवादी संख्या 6 ने नामान्तकरण की कार्यवाही एवं बेयनामा की कार्यवाही स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए करवाई गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने बेयनामा वाद के विचाराधीन रहते दौराने वाद करवाई गई है प्रतिवादी संख्या 6 को वाद भूमि के वाद एव विवाद का पूर्णरूप से ज्ञान होने के उपरान्त भी बेयनामा करवाना शोचानीय बिन्दु था फिर भी प्रतिवादी संख्या 6 ने स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए बैयनामा करवाया गया है जो विधि सम्मत नही है। तनकी न. 6 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 9 आया रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2 के खसरा न0 366/1 की 7. 2960हैक में दर्ज प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन कर वादीगण का बहिब दर्ज करा पाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है ?

वादीगण

तनकी न. 9 को साबित करने का भार वादीगण पर था तनकी न.0 1 व तनकी न. 8 में विवेचन किया जा चुका है कि बालूराम की सम्पति में हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था फिर भी हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन ने बालूराम की सम्पति में पुत्र की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया जबकि बालूराम की सम्पति में हनुमान का कोई हक अधिकार नही था तथा हनुमान के देहान्त होने के बाद हनुमान के वारिसान ने दौराने वाद स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए विरास्तन से अपने नाम भूमि दर्ज करवाकर दौराने वाद ही प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये बेयनामा बेचान की गई है जो विधि सम्मत नही है जब बालूराम की सम्पति में हनुमान एव उनके वारिसान का कोई हक हिस्सा ही नही था तो बैयनामा करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई अधिकार नही था मात्र राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए कपट पूर्वक नाम दर्ज करवाकर दौराने दावा ही प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाया गया है बिना हक अधिकार केवल मात्र. राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर करवाये गये बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी सख्या 6 किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रतिवादी संख्या 6 का बेयनामा वादीगण के हको के प्रति शुन्य है वादीगण कभी भी अपने हको की घोषणा करवाकर अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः तनकी न. 9 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न 10 आया रोही मौजा चैनुपरा के हाल खाता संख्या 2 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड 4/12 हिस्सा के खातेदार थे जिन्होने जरिये बैयनामा दिनांक 08.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 6 की खरीदशुद्वा खातेदारी भूमि है।

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी का केवल एक मात्र कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार थे जिनसे भूमि खरीद की गई है इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 6 का कथन स्वीकार योग्य नही है प्रथम तो प्रतिवादी संख्या 6 को वाद भूमि के सम्बध में विचाराधीन वाद का पूर्ण ज्ञान था यदि नही भी था जो प्रतिवादी संख्या 6 वाद भूमि खरीददार है खरीरदार को खरीद की जा[illegible] भूमि के सम्बध में सम्पूर्ण जानकारी की जानी आवश्यक था जो ख[illegible] साबित नही है वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का उक्तानुसार [illegible] विवेचन में विवेचन किया जा चुका है कि प्रतिबादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही था मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज था जिसका भी प्रतिवादी संख्या 6 को ज्ञान था फिर भी बैयनामा करवाया गया है जो विधि सम्मत नही है प्रतिवादी संख्या 6 ने बिना हक हिस्सा की भूमि का बैयनामा करवाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

बिना हक अधिकार की भूमि के बेयनामा को कोई औचित्य नही है ऐसे बेयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 किसी प्रकार के हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी न. 10 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न. 11 आया प्रतिवादी संख्या 6 वादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे कब्जा काश्त में दखल न देवे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

तनकी न. 12 आया वादीगण का वाद बिना कब्जा के संधारण योग्य नही है

तनकी न. 13 आया वादीगण के खिलाफ रेसज्यूडेकेटा आरीज है।

तनकी न. 14 आया वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।?

तनकी न. 15 आया वादी को वाद लाने का कोई कॉज ऑफ ऐक्शन हासिल नही है।

तनकी न. 12 ता 15 एक ही बिन्दु पर आधारित होने के कारण एक साथ विवेचन किया जा रहा है प्रतिवादी संख्या 6 का कथन है कि वादीगण का वाद भूमि पर कब्जा नही है रेसज्यूडीकेटा आरिज है न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है क्योकि बेयनामा निरस्त करवाने की इस्तदुआ है तथा वादीगण को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है प्रतिवादी ने अपने तनकीयात के सर्मथन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे उक्त तनकीयात को बल मिल सके मात्र कथन किया गया है

तनकी न. 1 ता 10 में वाद भूमि के सम्बध में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है कि बालूराम की सम्पति में हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन का कोई हक हिस्सा नही था वह अपने दत्तक पिता गोरधन की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था जो प्राप्त किया जा चुका है बालूराम की सम्पति में हनुमान एव उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नही है राजस्व रिकार्ड में केवल सहवन से दर्ज है जिसे संशोधन करवाकर अपने हकों की घोषणा का वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया है बिना हक हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्रतिवादी संख्या 6 को बेयनामा करवाया गया है जो वादीगण के हको के प्रति शुन्य एवं निष्प्रभावी है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 6 के बेयनामा को निरस्त करवाने का वाद पेश नही किया है वादीगण ने अपने हकों की घोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है जिसके वादीगण अधिकारी है अतः तनकी न0 11 ता 15 प्रतिवादी के विरू. तय की जाती है।

तनकीवार विवेचन अनुसार हनुमान , बालूराम का पुत्र था तथा बालूराम के बडे भाई गोरधन के कोई पुत्र नही था गोरधन ने अपने छोटेभाई बालूराम के पुत्र हनुमान का खोले ले लिया और खोलानामा पंजीबद्व करवा लिया जो प्रस्तुत खोलानामा से पूर्णत्या साबित है अर्थात हनुमान अपने प्राकृतिक पिता बालुराम के स्थान पर गोरधन का दत्तक पुत्र हो गया था तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार हनुमान दत्तक पुत्र गोरधन हो गया था और गोरधन की सम्पति में पुत्र की हैसियत से सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये थे एवं अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति से सम्पूर्ण अधिकार समाप्त हो गये थे

हनुमान ने अपने दत्तक पिता गोरधन के देहान्त होने पर गोरधन की सम्पति में दत्तक पुत्र की हैसियत से गोरधन की सम्पति /कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया था जो प्रस्तुत साक्ष्यो /सबुतो से पूर्णत्या साबित है साथ ही हनुमान ने अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में भी पुत्र की हैसियत से विरास्तन से अपना नाम दर्ज करवा लिया जो विधि सम्मत नही था हनुमान केवल दत्तक पिता गोरधन की सम्पति/कृषि भूमि में ही हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था अपने प्राकृतिक पिता बालूराम की सम्पति में पुत्र की हैसियत से कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही था फिर भी कपट पूर्वक बालूराम की सम्पति/कृषि भूमि में भी ना[illegible] करवा लिया इसलिये वादीगण ने हस्तगत वाद पेश किया की हनुमान [illegible] हिस्सा नही है जो भी हक हिस्सा था वह अपने दत्तक [illegible] सम्पति /कृषि भूमि में प्राप्त कर लिया है बालूराम की सम्पति मे हनुमान का नाम क[illegible]जन कर वादीगण हक हिस्सा के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट का पेश किया जो वाद सुनवाई दिनांक 13.07.2021 को स्वीकार किया गया जिसकी प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई जो वाद सुनवाई दिनांक 25.01.2024 को खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 13.07.2021 यथावत रखा इसके बाद कोई अपील हुई या नही का दस्तावेजात पत्रावली में नही है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार स्थगन आदेश आदिनांक तक प्रभावी है।

वादीगण के वाद के विचाराधीन रहते एवं स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए हनुमान के देहान्त होने पर हनुमान के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने विरास्तन नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 तस्दीक करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाकर वाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया गया उक्त समस्त कार्यवाही स्थगन आदेश के प्रभावी रहते एवं वादीगण के वाद के विचाराधीन रहते की गई

वाद भूमि जो बालूराम की पैदा करदा खातेदारी भूमि थी जिसमें हनुमान के खोले जाने के बाद किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही था फिर भी कपट पूर्वक बालूराम की सम्पति /कृषि भूमि में अपना नाम पुत्र की हैसियत से दर्ज करवाया जबकि हनुमान बालूराम का पुत्र ना होकर गोरधन का दत्तक पुत्र था हनुमान बालूराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही था फिर भी बिना अधिकार बालूराम की सम्पति में हनुमान का नाम दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने विरास्तन से अपने नमा दर्ज करवाकर बिना हक हिस्सा के भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दी गई जो विधि विरूद्व है

जब हनुमान का बालूराम की कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा ही नही था फिर भी हनुामन एव उसके वारिसान ने अपने नाम भूमि दर्ज करवाकर बेचान की गई है हक हिस्सा से अधिक या बिना हक के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर बेचान के बेयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा बिना हक हिस्सा की भूमि का बैयनामा करवाने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 का बैयनामा वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है

उपरोक्त विवेचन अनुसार /तनकीवार विवचेन अनुसार पहले हनुमान तत्पश्चात हनुमान के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज भूमि जो बालूराम की भूमि थी जिसमें हनुमान या प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव वर्तमान में बिना हक हिस्सा की भूमि का करवाया गया बैयनामा प्रतिवादी संख्या 6 कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन कर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने एवं प्रतिवादी संख्या 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम [illegible] बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमीलाल 2. हरिसिह पि0 बालुराम जाति जाट निवासीगण बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।

वादी

बनाम

1 भरपाई पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
2. राजपाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
3. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू
4. सन्तोष पुत्री हनुमान पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी भुडनपुरा तहसील सुरजगढ जिला चुरू
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भरत कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 92 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/10/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव आईएएस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested